जिस्टर्ड / सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-610 / 2018 / 1237 / 22-2-2018-17(37) / 2003
लखनऊ:दिनांक: 30 अगस्त, 2018
आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के सिद्धदोष बन्दी टिल्लू (बन्दी संख्या-1924 / 96) पुत्र श्री बैशाखू, निवासी-देवघाट, थाना-धूमनगंज, जिला-इलाहाबाद जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-372 / 1977 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-147, 148, 302 / 149, 307 / 149 के अधीन मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30-01-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था तथा बन्दी द्वारा दिनांक 07-06-2018 तक काटी गयी 22 वर्ष, 02 माह, 13 दिन की अपरिहार तथा 29 वर्ष, 06 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उसकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-610 / 2018 / 1237(1) / 22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ।
3-पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ।
4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in